

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934

No. 556]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 29 मई, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 797(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम के विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम 27 फरवरी, 2009 से लागू समझे जाएंगे। @

2. अनुसूची 1 का संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में,

- (i) अनुसूची 1 के, अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद (2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
- "(2) जिस किसी कंपनी को व्यष्टि (micro), लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमइडी) के अनुसार व्यष्टि तथा लघु उद्यम (एमएसइ) (पहले की लघु उद्योग इकाई) माना गया है, किसी निर्यात उन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार

क्षेत्र में कोई इकाई अथवा किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में अथवा किसी साफ्टवेयर तकनीकी पार्क में अथवा किसी ईलेक्ट्रानिक हाईवेयर तकनीकी पार्क में किसी इकाई सिहत, और जो इस अनुसूची के संलग्नक ए में उल्लिखित किसी भी प्रकार के कार्य/क्षेत्र में नहीं लगी है, वह अनुच्छेद 1 में उल्लिखित किसी व्यक्ति को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है बशर्ते यह निर्दिष्ट प्रवेश मार्ग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार इस अनुसूची के संलग्नक बी में निर्धारित सीमा में हो।"

- (ii) अनुसूची 1 के, अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद (3) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात
- (3) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला अथवा बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला कोई औद्योगीक उपक्रम जो कि व्यष्टि तथा लघु उद्यम नहीं है और जिसके पास व्यष्टि तथा लघु उद्यम क्षेत्र में निर्माण करने हेतु आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने के लिए बनाये गये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन उद्योग लाईसेंस है, वह अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को उसकी चुकता पूँजी के 24 प्रतिशत तक शेयर जारी कर सकता है । चुकता पूँजी के 24 प्रतिशत से अधिक के शेयर जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा और इस प्रकार के अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन में होगा ।"

[सं. फेमा 230/2012-आर बी] रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :— (i) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II में, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 406(अ) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

- 02 मार्च 2001 के जीएसआर सं.158 (ई)
- 13 मार्च 2001 के जीएसआर सं.175 (ई)
- 14 मार्च 2001 के जीएसआर सं.182 (ई)
- 02 जनवरी 2002 के जीएसआर सं.4 (ई)
- 19 अगस्त 2002 के जीएसआर सं.574 (ई)

18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.223 (ई) 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.225 (ई) \ 22 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.558 (ई) 23 अक्तूबर 2003 के जीएसआर सं.835 (ई) 22 नवंबर 2003 के जीएसआर सं.899 (ई) 07 जनवरी 2004 के जीएसआर सं.12 (ई) 23 अप्रैल 2004 के जीएसआर सं.278 (ई) 16 जुलाई 2004 के जीएसआर सं.454 (ई) 21 सितंबर 2004 के जीएसआर सं.625 (ई) 08 दिसंबर 2004 के जीएसआर सं.799 (ई) 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.201 (ई) 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.202 (ई). 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.504 (ई) 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.505 (ई) 29 जुलाई 2005 के जीएसआर सं 513 (ई) 22 दिसंबर 2005 के जीएसआर सं 738 (ई) 19 जनवरी 2006 के जीएसआर सं 29 (ई) 11 जुलाई 2006 के जीएसआर सं.413 (ई) 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.712 (ई) 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.713 (ई) 29 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.737 (ई) 05 अगस्त 2008 के जीएसआर सं.575 (ई) 30 दिसंबर 2008 के जीएसआर सं.896 (ई) 01 दिसंबर 2009 के जीएसआर सं.851 (ई) 21 अप्रैल 2010 के जीएसआर सं.341 (ई) _ के जीएसआर सं.

03 अगस्त 2012 के जीएसआर सं.606 (ई) और _____ के जीएसआर सं.___

(ii) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रावधानों को उद्योग नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में दिनांक 27 फरवरी 2009 को प्रकाशित दिनांक 27 फरवरी 2009 की अधिसूचना सं.एस.ओ.563(ई) के अनुसार अधिसूचित किया है।

RESERVE BANK OF INDIA (Foreign Exchange Department) (Central Office) NOTIFICATION

Mumbai, the 29th May, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 797(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from the 27th day of February 2009 @

2. Amendment of Regulation 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA.20/2000-RB dated 3rd May 2000),

- (i) in Schedule 1, the sub-paragraph (2) of the paragraph 2 shall be substituted with the following namely:
 - "(2) A company which is reckoned as Micro and Small Enterprise (MSE) (earlier Small Scale Industrial Unit) in terms of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, including an Export Oriented Unit or a Unit in a Free Trade Zone or in an Export Processing Zone or in a Software Technology Park or in an Electronic Hardware Technology Park, and which is not engaged in any activity / sector mentioned in Annex A to this Schedule may issue shares or convertible debentures to a person referred to in paragraph 1, subject to the limits prescribed in Annex B to this Schedule, in accordance with the Entry Routes

specified therein and the provision of the Foreign Direct Investment Policy, as notified by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, from time to time."

- (ii) in Schedule 1, the sub-paragraph (3) of the paragraph 2 shall be substituted with the following namely:
 - "(3) Any Industrial undertaking, with or without Foreign Direct Investment, which is not an MSE, having an industrial license under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 for manufacturing items reserved for manufacture in the MSE sector may issue shares to persons resident outside India referred to in paragraph 1, to the extent of 24 per cent of its paid-up capital. Issue of shares in excess of 24 per cent of paid-up capital shall require prior approval of the Foreign Investment Promotion Board of the Government of India and shall be in compliance with the terms and conditions of such approval."

[No. FEMA. 230/2012-RB] RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note: (i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May, 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005

4134 6012-2

```
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. ______ dated _____
G.S.R.No.606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No.______ dated _____ and G.S.R.No._____ dated _____ and dated ______ and dated
```

(ii)@ It is certified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to such regulations. These provisions have been notified by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, Government of India, vide Notification No.S.O.563(E) dated February 27, 2009, published in the Official Gazette of Government of India on February 27, 2009.